IV 138/15

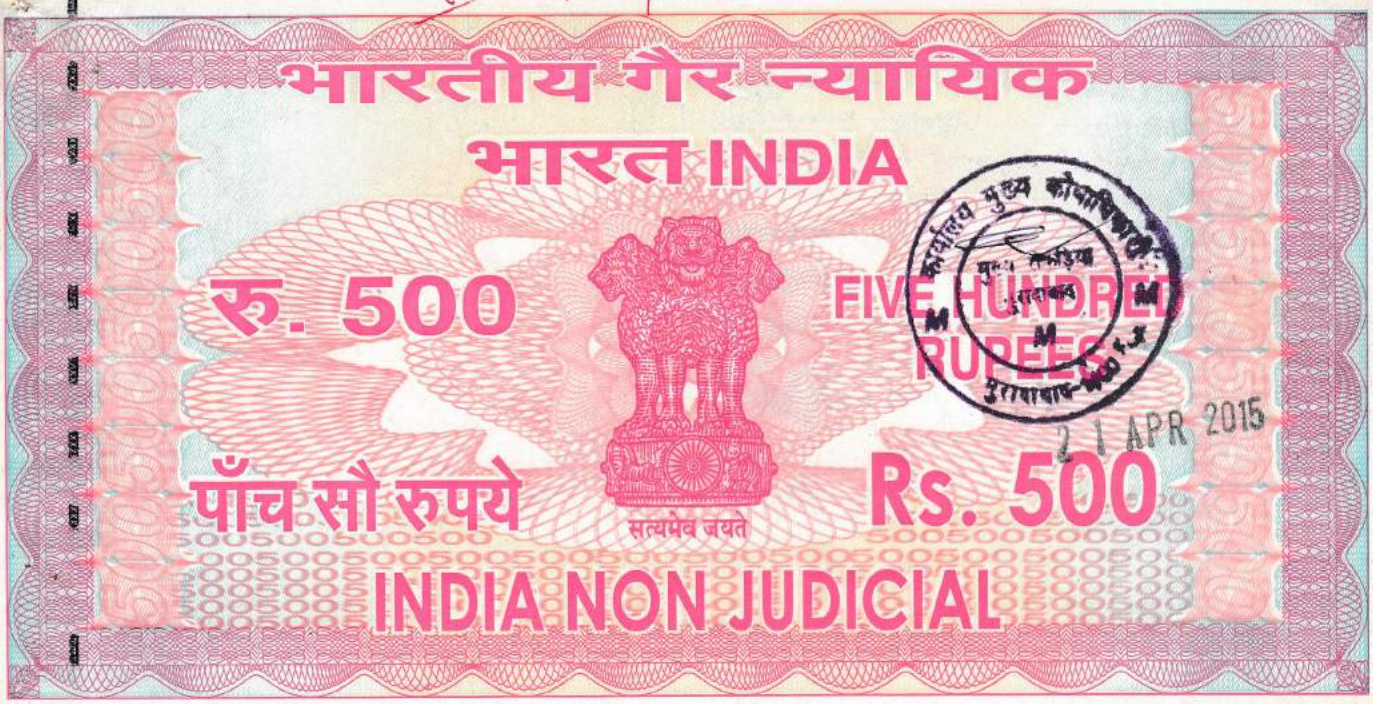

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

21 APR 2015

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 407707

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प–750/–

कृष्णा एजूकेशनल ट्रस्ट

(Krishna Educational Trust)

(धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ न्यास)

7787/22

आज दिनांक 08/05/2015 को मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी–कृष्णा विला ए–1, गौर ग्रेसियस, कॉठ रोड़, जिला–मुरादाबाद द्वारा कृष्णा एजूकेशनल ट्रस्ट, कृष्णा कैम्पस, अगवानपुर बाईपास, कॉठ रोड़, मुरादाबाद का गठन किया गया है, जिसका विवरण न्यास पत्र में हम निम्नलिखित न्यास के संस्थापकगण धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ न्यास गठित करते है :–

क0सं0	न्यास के संस्थापक सदस्यगण	पदनाम
1	पंकज चौधरी पुत्र श्री बलवीर सिंह नि0–कृष्णा विला ए–1, गौर ग्रैसियस कॉठ रोड़, मुरादाबाद।	अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी
2.	श्रीमती रेनू पत्नी श्री पंकज चौधरी नि0–कृष्णा विला ए–1, गौर ग्रैसियस कॉठ रोड़, मुरादाबाद।	सचिव (ट्रस्टी)
3.	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री बलवीर सिंह, नि0–कृष्णा विला ए–1, गौर ग्रैसियस कॉठ रोड़, मुरादाबाद।	कोषाध्यक्ष (ट्रस्टी)

क्रमशः पेज 2 पर ....

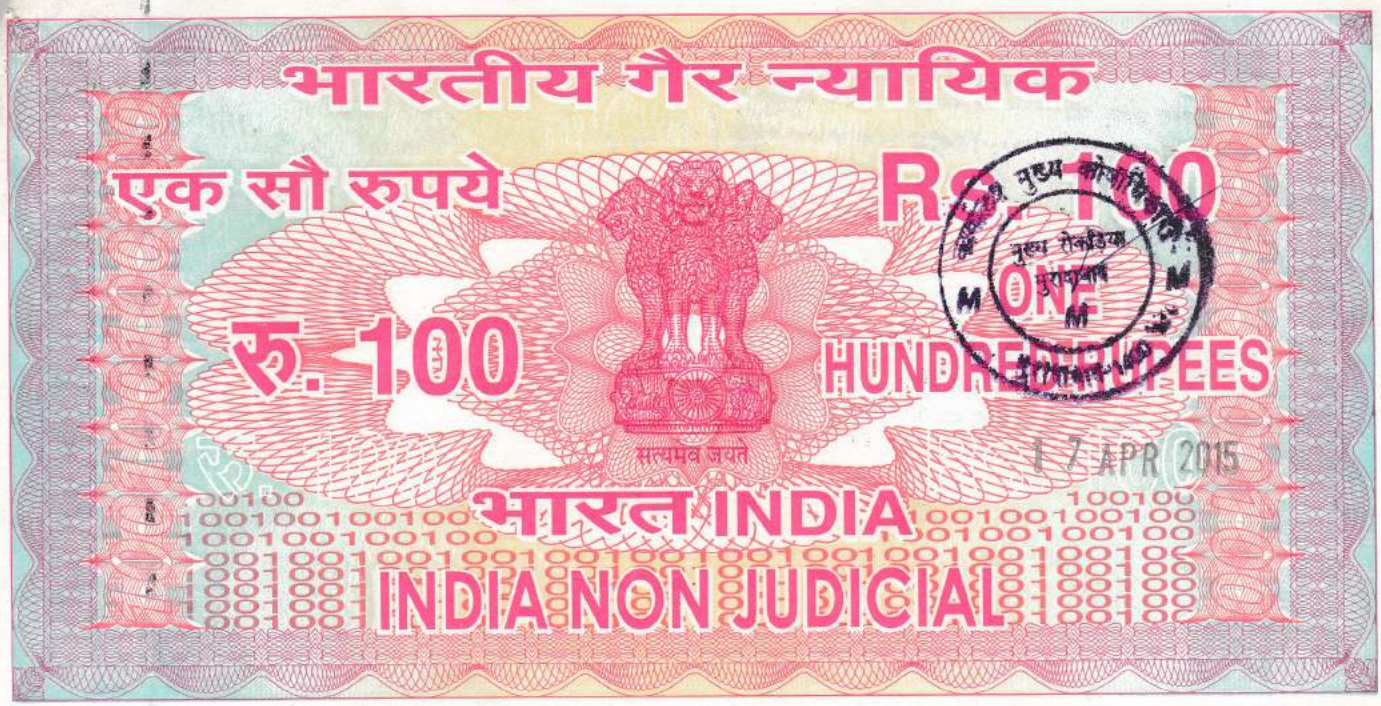

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 390179

(2)	न्यास का नाम	:	कृष्णा एजूकेशनल ट्रस्ट।
(3)	न्यास का प्रधान कार्यालयः		नि0–कृष्णा कैम्पस, अगवानपुर बाईपास कॉठ रोड़, मुरादाबाद।
(4)	न्यास के उद्देश्य	:	(राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगा)।

सामाजिक उद्देश्य :

धर्मशाला एवं मंदिर की सम्पत्ति की देखभाल व सुरक्षा व रख–रखाव करना व धर्मशाला एवं मंदिर से सम्बन्धित समस्त कार्यों को अंजाम देना व उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने के प्रयासरत रहना।

धमार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ न्यास के कार्यों का न्यासीगणों की इच्छानुसार देश–विदेश के विभिन्न स्थानों पर विस्तार करना। सामाजिक कल्याणकारी कार्य हेतु विश्व के सभी वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकता एवं अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रोत्साहन सहायता, सहयोग, एवं जागरूकता प्रदान करना।

समाज के निर्धन, असहाय, अनाथ, गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र भोजन, मकान, चिकित्सा, पेयजल, पुस्तक, स्कूल ड्रेस इत्यादि प्रदान करना, वृद्व पुरूष एवं महिलाओं, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता एवं कल्याण हेतु प्रयास करना एवं वृद्वाश्रम स्थापित करना व उनका संचालन करना व सभी वर्ग की लड़कियों की शादी कराने में सहयोग करना तथा डूडा, कपार्ट, नाबार्ड, हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा कार्य करना। राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियन्त्रण, पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रयास करना। समाज के सभी वर्गो के स्वास्थ्य व दढ़ इच्छाशक्ति हेतु योग व देशी जड़ी–बूटियों को प्रोत्साहित करना।

क्रमशः पेज 3 पर .....

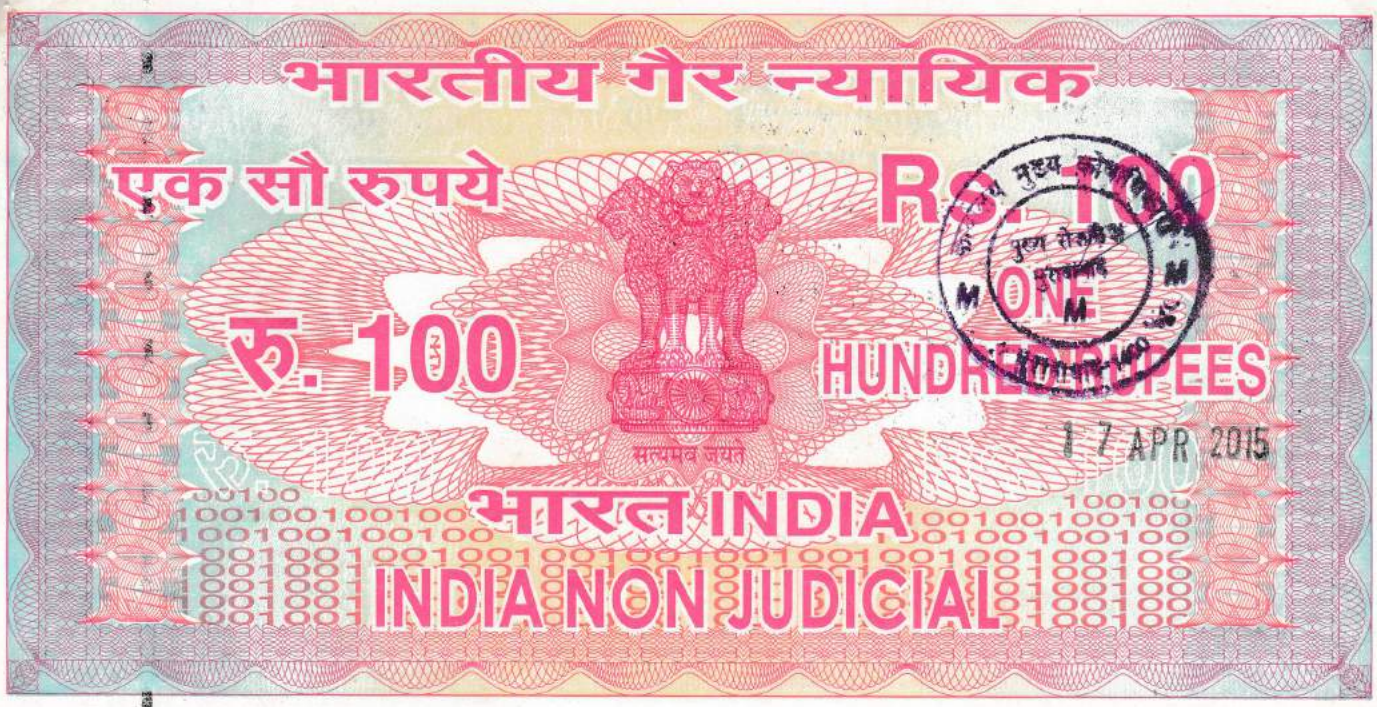

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 390180

समाज में ऊँच–नीच, जात–पांत, छूआ–छूत, विधवा/परित्यक्ता आदि अज्ञानता/बुराईयों को दूर कर जनसेवार्थ सामाजिक न्याय दिलाने में लोगों की सहायता करना।

समाज के सर्वांगीण विकास के लिये योजनायें बनाना, समान उद्देश्य के लिए कार्यरत अन्य संस्थाओं से सम्बद्व होना तथा उन्हें सम्बद्व करना। अपनी संस्था के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी व गैर सरकारी तन्त्र, समाज देवी व्यक्तियों/संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना तथा इस हेतु अनुदान/सहायता लेना/देना।

शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थान व परामर्श केन्द्र आदि चलाना। प्रतिभाशाली किन्तु निर्धन और जरूरत मन्द छात्र/छात्राओं की प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करना।

सांस्कृतिक उद्देश्य :–

भारत की राष्ट्रीय एकता व विरासत को गौरवान्वित करने हेतु प्रयास करना। व्यवस्तता भरे वातावरण से उत्पन्न व्यक्तियों की परेशानियों के निवारण हेतु विभिन्न, धार्मिक आयोजनों तथा अपनी विस्मृत विरासत वैदिक ज्योतिष विद्या के प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास करना तथा उच्च शिक्षित एवं अनुभवी ज्योतिषी समूह का ज्योतिष्शीय परामर्श उपलब्ध कराना।

मानव समाज के सभी धर्मो/जातियों के बच्चों, महिलाओं व पुरूषों को बिना जाति एवं लिंगभेद के एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, भौगोलिक एवं प्राच्य विद्या ज्ञान को आपसी मेल–मिलाप, अनेकता में एकता की भावना, यात्रा एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान/सहायता प्रदान/प्राप्त करना। सांस्कृति कल्याणकारी कार्य हेतु विश्व के सभी वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकता एवं अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रोत्साहन, सहायता, सहयोग एवं जागरूकता प्रदान करना।

क्रमशः पेज 4 पर .....

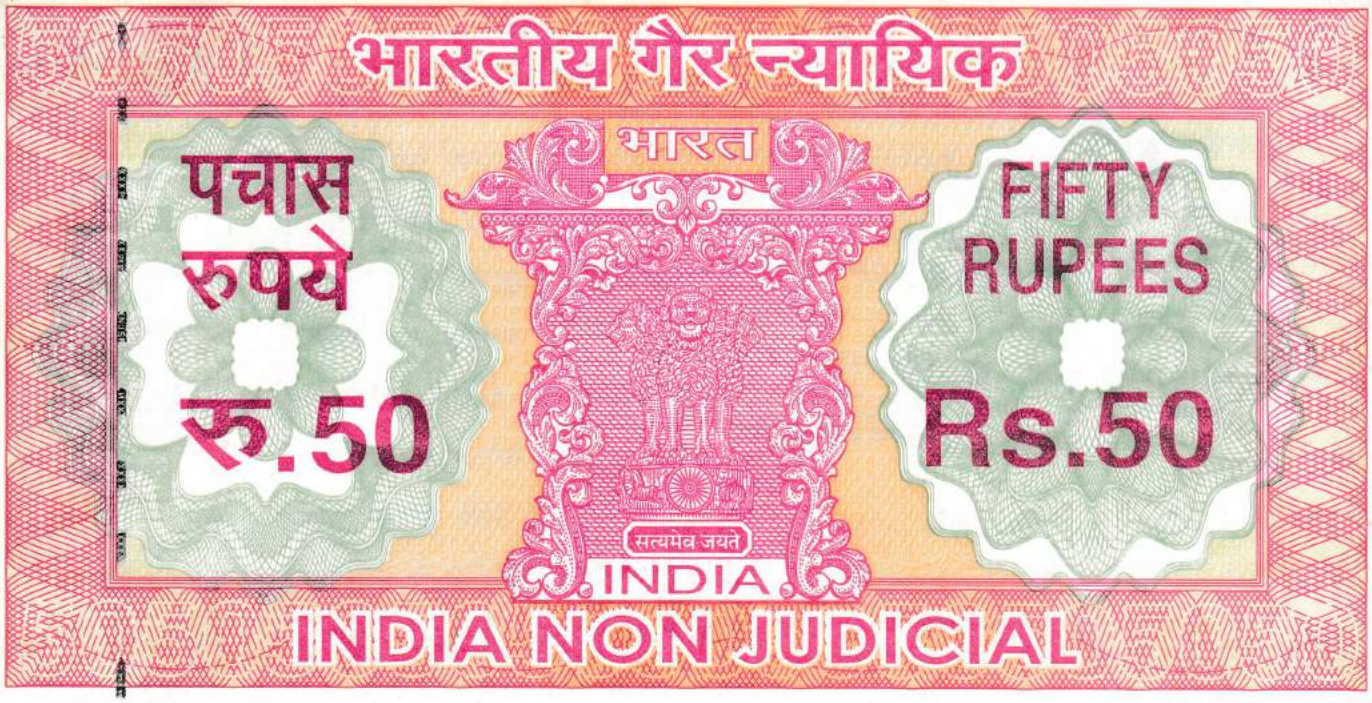

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 750892

राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर दया, दान, परोपकार अतिथि सत्कार की भावना एवं विकास करना एवं नैतिक मूल्य युक्त जीवन जीने हेतु प्रशिक्षा शिविर इत्यादि के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षत/जागरूक करना। न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार सृजनात्मक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम द्वारा जन–जागरण करना।

1. सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं विदेशों में प्राईमरी स्कूल मध्य एवं उच्चतर इण्टरमीडिएट स्कूल/कॉलेज एवं उच्चस्तरीय तकनीकी संस्थान की स्थापना प्रचार–प्रसार एवं संचालन करना।
2. राष्ट्र भाषा एवं अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान आदि शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना।
3. छात्र एवं छात्राओं को स्वालम्बी नागरिक बनाने के लिये समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करना।
4. छात्र/छात्राओं का चरित्र निर्माण, आत्म निर्भर, राष्ट्र प्रेमी व राष्ट्रीयता उत्पन्न करना।
5. छात्र/छात्राओं को कर्मठ, आत्म स्वाभिमानी बनाना।
6. शिक्षा सम्बन्धी समस्त उपकरण का प्रबन्ध करना।
7. वर्तमान युग में बच्चों को आत्म निर्भर, विवेकशील बनाकर राष्ट्र चेतना, जागृत कर स्वच्छ व सामाजिक निहित समाज की व्यवस्था करना।
8. ग्रामीण जनता को शिक्षा का प्रचार–प्रसार कर अज्ञानता से दूर कर सफल व सजग नागरिक बनाना।
9. वर्तमान युग में फैली कुरीतियों, अंध विश्वास जैसे धर्मान्धता, क्षेत्रवाद, दहेज प्रथा आदि को दूर कर स्वच्छ समाज की स्थापना करना।

क्रमशः पेज 5 पर .....

10. ग्रामोथान हेतु समय–समय पर प्राप्त राजकीय सहायता व समाजसेवियों के सहयोग से धनोपार्जन कर, ग्रामोथान के लिये सदैव प्रत्यनशील रहना।
11. कम्प्यूटर शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना। मोबाईल रिपेयरिंग प्रशिक्षण प्रदान कर युवको एवं युवतियों को स्वालम्बी बनाना।
12. खेलकूद के मैदानो का विकास करना। खेलकूद हेतु इन्डौर हॉल का निर्माण करना। स्विमिंग पूल बनवाना।
13. सिलाई कढ़ाई केन्द्रों को खुलवाना।
14. ग्रामोधोगों के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना।
15. मधुमक्खी पालन के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
16. अन्य समस्त सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना।
17. कुष्ठ रोगियों का निःशुल्क इलाज करना।
18. असहाय, अशक्त एवं मानसिक विकलांग बच्चों के शैक्षणिक, भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना, निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना।
19. पिछड़े हुए युवाजनों के लिये प्रमोद गृह, अरोग्य मंदिर और बौद्विक विकास के लिये पुस्तकालय, वाचनालय केन्द्रों की स्थापना करना।
20. निराश्रित महिलाओं हेतु रहन–सहन की व्यवस्था करना।
21. निराश्रित महिलाओं और बच्चों के लिये आश्रम स्थल, नारी सुलभ उद्योगों का निःशुल्क प्रशिक्षण एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना।
22. देश एवं प्रदेश की समउद्देश्य वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उद्देश्यो की पूर्ति करना।
23. गरीब जनता के लिये स्वदेशी औषधियों का निर्माण कराना जिसके लिए जड़ी बूटी केन्द्र उद्यान एवं निर्माण शालाओं की स्थापना करना। भारतीय चिकित्सा पद्वति का विकास प्रचार–प्रसार हेतु संसाधन जुटाना।
24. अपारम्परिक ऊर्जा श्रोतों, संयंत्रों, गोबर गैस, सौर ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं विकास करना।
25. संक्रमित रोगों जैसे–एड्स/एच0आई0वी0, हेपेटाइटिस बी, टी0वी0 इत्यादि रोगों की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना।
26. हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्य करना एवं हस्तशिल्प के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना व अन्य कार्यक्रम चलाना।

क्रमशः पेज 6 पर .....

27. राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय एकता सद्भावना एवं विश्व बन्धुत्व के प्रति चेतना व जाग्रति का विकास करना।

28. इलैक्ट्रिशियन, मोबाईल, फ्रीज, ए0सी0,इन्वर्टर का प्रशिक्षण प्रदान कर स्वालम्बी बनाना।

29. नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

30. स्वस्थ भारत, सामर्थ भारत, स्वदेशी जागरण, नशा मुक्त आन्दोलन आदि के संकल्प लेना।

31. स्वस्थ व्रत/वेद स्वास्थ्य, पोषण संस्कार, गौपैथी एवं वन औषधियों का परिचय करना।

32. योग विज्ञान, शिक्षण–प्रशिक्षण, अनुसंधान योगायुर्वेद का प्रचार–प्रसार, असंगत योग पराक्रम, बन्द मुद्रा कैवल्य, आयुष चिकित्सा संवर्धन, दिव्य योग, साधना सत्र आदि रचनात्मक कार्यक्रमों का उन्नयन व क्रियान्वयन करना।

33. कृष्णा एजूकेशनल ट्रस्ट के अन्तर्गत यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं संचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों से भिन्न किन्तु मानव समुदाय की सहायता के लिए आवश्यक अन्य जन उपयोगी सेवा कार्यो को करना।

5. **धन सम्बन्धी नीति :–**

न्यास के रख–रखाव एवं आवश्यक व्यय हेतु सभी संस्थापक सदस्यों द्वारा प्रारम्भिक धनराशि रू0 10,000/– (दस हजार रूपये) एकत्र की गयी। जिससे न्यास गठन सम्बन्धी कार्य का शुभारम्भ किया जायेगा। भविष्य हेतु धन की व्यवस्था न्यास के उद्देश्यों में समाहित है।

न्यास का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा।

न्यासगण दान, अनुदान, योगदान, सहायता, सहयोग किसी भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी, सरकार या अन्य धमार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ संस्थाओं से नकद धनराशि चल या अचल सम्पत्ति बिना किसी शर्त व बन्धन के प्राप्त कर सकते हैं। न्यासीगण व्यास की आय को लाभार्थियों के लाभ और न्यास के निमित प्राप्त/आय और व्यय करेगें।

6. **न्यासीगण के कर्तव्य एवं अधिकार:–**

क. न्यास की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का न्यास के लाभार्थ प्रबन्ध करना एवं उसे किसी भी वाद–विवाद से बचाने का अधिकार रहेगा।

ख. न्यास हेतु कर्मचारी नियुक्त करना उनकी सेवा, पारिश्रमिक, वेतन, पद से हटाने आदि शर्ते तय करना।

क्रमशः पेज 7 पर .....

ग. न्यास की निधियों को बैंक/कम्पनी/चल/अचल सम्पत्ति में न्यास के लाभार्थ निवेश करना।

घ. न्यास की सम्पत्ति को न्यास के विकासार्थ, लाभार्थ पुनः निवेश करने हेतु बेचना, खरीदना, बदलना, हस्तान्तरण करना, रद्देबदल का अधिकार न्यासियों को होगा।

ड. न्यास के निमित्त सुचारू रूप से संचालन के लिए बैंक खाते खोलना।

च. न्यास की सम्पत्ति के हितार्थ, न्यास सम्बन्धी समस्त व्यय–भार, जिम्मेदारियों, देनदारियों का एवं न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्धन और प्रशासन सम्बन्धी आकस्मिक व्ययों का भुगतान करना।

छ. न्यास के किसी भी उद्देश्यों हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी मात्र न्यासीगणों को अधिकार होगा।

ज. कोई भी न्यासी दूसरे न्यासी को एक महीने का नोटिस लिखित रूप में देकर स्वेच्छा से न्यास से सेवानिवृत्त हो सकता है और न्यासी अपने पद पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है।

झ. न्यास के लाभार्थ यदि न्यासी को व्यय करता है तो वह उस व्यय को न्यास से पाने का हकदार होगा।

ट. जब भी कोई चल अचल सम्पत्ति न्यास हेतु खरीदी जायेगी वह न्यास की अपनी सम्पत्ति होगी। न्यासीगणों व सदस्यों का उस सम्पत्ति पर कोई सरोकार या आधिपत्य नहीं होगा। यह न्यासी सम्पत्ति धमार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ होगी। सम्पत्ति के कय/विकय या इससे सम्बन्धित अन्य किसी विलेख पर हस्ताक्षर करने का अधिकार अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी का होगा।

ठ. न्यास पत्र में लिखित संस्थापक न्यासी/न्यासीगणों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकिया द्वारा हटाया नहीं जा सकता।

न समस्त न्यासीगणों को विशेष परिस्थितियों में आपसी सहमति से न्यास के लाभार्थ नियमावली मकें संशोधन का अधिकार होगा।

7. **न्यास में निम्नलिखित पदाधिकारी होगेः–**

अध्यक्ष, सेकेटरी और कोषाध्यक्ष।

क्रमशः पेज 8 पर .....

चुनाव :–प्रत्येक 5 वर्ष में न्यास के संस्थापक सदस्य पदाधिकारियों का चुनाव करेगे। विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष से पूर्व या पश्चात भी चुना कराया जा सकेगा।

सूचना :– न्यास की वार्षिक बैठक 10 दिन तथा विशेष बैठक 24 घंटे पूर्व की सूचना पर बुलायी जा सकेगी।

कार्यकाल :– न्यास के पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

8. **न्यास के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–**

अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी

क. न्यास का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा तथा न्यास की उन्नति हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा, जिस पर अन्य न्यासी विचार करके अपनी सहमति प्रदान करेगें।

ख. न्यास के समय–समय पर होने वाले अधिवेशन एवं बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

ग. अध्यक्ष का निर्णय व्यवस्था के प्रश्न पर अन्य न्यासियों की सहमति पर सर्वमान्य होगा।

घ. किसी सदस्य के विरूद्व आरोप सिद्व होने पर उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार न्यासियों की सहमति से होगा।

ड़ संस्था के हित में संस्था का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों को अनुमति प्रदान करने या न करने का अधिकार न्यासियें की सहमति प्राप्त करके ही होगा।

च. बैंकिग खाता संचालन का अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव संयुक्त रूप से अथवा अध्यक्ष या सचिव द्वारा एकल रूप से भी किया जा सकता है।

छ. संस्था के हित में बैंक अथवा अन्य किसी माध्यम से ऋण प्राप्त करने एवं ऋण के भुगतान/अदायेगी से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्यों का कियान्वयन मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

सचिव :–

क. न्यास की प्रतिदिन की गतिविधियों हेतु जिम्मेदार होगा एवं न्यास का उचित रूप से प्रबन्ध करेगा।

ख. न्यास द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों का कियान्वयन करना।

ग. न्यास की ओर से पत्र व्यवहार करना।

घ. न्यास का हिसाब किताब तथा दान/अनुदान/सहायता/चन्दा आदि प्राप्त करना एवं समुचित रजिस्टर में अंकित करना।

ड़ न्यास के अभिलेख व्यवस्थित रूप से तैयार करना व रखना।

च. वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना एवं न्यास के उद्देश्यों में निहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित तंत्र से समन्वय स्थापित कर उद्देश्यों की पूर्ति करना।

क्रमशः पेज 9 पर .....

छ. अन्य वह समस्त कार्य जो न्यास हित में आवश्यक हो, जो उद्देश्यों में लिखने से रह गये हो, उन्हें करना।

ज. न्यास से सम्बन्धित दस्तावेज प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना तथा कानूनी कार्यवाहियों में न्यास की पैरवी करना या अन्य न्यासी सदस्यों की सहमति से अन्य किसी को इस हेतु नियुक्त करना।

कोषाध्यक्ष : न्यास की आय–व्यय का हिसाब–किताब रखेगा व कोष का प्रभारी होगा। उन कार्यो को सम्पादित करेगा जिन्हें कार्यकारिणी निर्देशित करें जरूरत के लिये 5,000/–रू0 तक अपने पास नकद रखने का अधिकार रहेगा। धनराशि की सीमा जरूरत के हिसाब से न्यासियों की इच्छा से बढ़ायी/घटायी जा सकती है।

9. **रिक्तियों का भरा जाना–** न्यासियों की किसी भी कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति को न्यासी के उत्तराधिकारी द्वारा भरा जायेगा। उत्तराधिकारी के न्यास में सम्मिलित होने से मना करने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को न्यासी सदस्यों की सहमति से भरा जायेगा।

10. **न्यास का कोष** :– समस्त धनराशि को सुरक्षापूर्वक रखने हेतु न्यास का खाता नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा और इसका संचालन अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी और सेक्रेटरी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा एवं हर व्यय का बाउचर बनाया जायेगा। बैंकिग खाता संचालन का अधिकार अध्यक्ष/सचिव संयुक्त रूप से अथवा अध्यक्ष या सचिव द्वारा एकल रूप से भी किया जा सकता है।

11. **लेखा परीक्षण** – न्यास के आय–व्यय का परीक्षण प्रतिवर्ष किसी योग्य ऑडिटर से कराय जायेगा तथा जांच के बाद इसकी रिपोर्ट पर बैठक में विचार किया जायेगा।

12. **विधिक कार्यवाहियॉ** : न्यास की सभी कानूनी कार्यवाहियॉ अध्यक्ष के पदनाम से की जायेगी तथा न्यास के विरूद्व की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही का अधिकार क्षेत्र प्रधान कार्यालय बिजनौर से होने के कारण न्यायालय बिजनौर मे होगा।

क्रमशः पेज 10 पर .....

13. **न्यास के अभिलेख :–**

(क) कार्यक्रम सूचना रजिस्टर।

(ख) कार्यवाही रजिस्टर।

(ग) स्टाक रजिस्टर।

(घ) सदस्यता रजिस्टर।

(ड) कैश बुक/आय व्यय रजिस्टर।

14. **न्यास का विघटन/समापन** :– यदि किसी विषय पर न्यास में विवाद होता है तो उसमें अध्यक्ष एवं न्यासियों का सम्मिलित निर्णय मान्य होगा एवं यदि अपरिहार्य कारणो से न्यास का विघटन/समापन करना पड़ता है तो न्यास की चल/अचल सम्पत्ति का निस्तारण न्यायालय/धमार्थ आयुक्त/तत्कालीन कानून के अनुसार किया जायेगा।

15. **न्यास की सदस्यता एवं सदस्यो के वर्ग** :–न्यास की सदस्यता हेतु कोई भी व्यक्ति जो बालिग हो और न्यास का सदस्य बनने के इच्छुक हो, निम्न प्रकार सदस्यता शुल्क अदा करके किसी भी वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। सदस्यता शुल्क अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी तथा सेक्रेटरी की अनुमति के बाद जमा होगा।

संस्थापक सदस्यों द्वारा समय–समय पर तय की गयी धनराशि सदस्यता शुल्क रहेगी।

साधारण सदस्य :– ऐसे महानुभाव जो प्रतिवर्ष शुल्क के साथ साधारण सदस्य की सदस्यता हेतु आवेदन करेगें तब अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी एवं सेक्रेटरी की अनुमति के उपरान्त व साधारण सदस्य बन सकेगें।

मानद सदस्य : समाजसेवा, ज्योतिष विज्ञान या अन्य जनोपयोगी कार्य में संलग्न व्यक्तियों या संस्थाओं को अध्यक्ष, मुख्य ट्रस्टी न्यासियें की सहमति के उपरान्त एक वर्ष की मानद सदस्यता दे सकेगा।

सदस्यता की समाप्ति : निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

1. न्यास के वियद्व कार्य करने पर।
2. निर्धारित सदस्य शुल्क जमा न करने पर।

क्रमशः पेज 11 पर .....

3. न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
4. सदस्यता ट्रान्सफर नहीं होगी और न ही पैसा रिफन्ड होगा।
5. किसी सदस्य के दिवालिया होने या मृत्यु हो जाने पर।
6. संस्थापक सदस्यों की सहमति से।

इस वास्ते यह न्यास विलेख की घोषणा तहरीर कर दिये ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

(हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टी)

SACHIN SHARMA ADVOCATE
Ch.No. 310, Reg. No. 3540/06
D.J.Code S369, Court Compound,
Moradabad, Mob. 9927248555

साक्षी–1

1. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह पुत्र राम कुँवर सिंह
पता–हरथला सोनकपुर, मुरादाबाद।

SACHIN SHARMA ADVOCATE
Ch.No. 310, Reg. No. 3540/06
D.J.Code S369, Court Compound,
Moradabad, Mob. 9927248555

साक्षी–2

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री निर्मल सिंह
नि0–हरथला सोनकपुर, मुरादाबाद।

SACHIN SHARMA ADVOCATE
Ch.No. 310, Reg. No. 3540/06
D.J.Code S369, Court Compound,
Moradabad, Mob. 9927248555

यह न्यास विलेख आज दिनांक 08.05.2015 को बामुकाम मुरादाबाद कचहरी इकरार स्थापित बमश्वरे सचिव शर्मा एडवोकेट, पूनम कम्यूनिकेशन, कोर्ट रोड, मुरादाबाद के लिए मौहम्मद उसमान ने टाईप किया।

SACHIN SHARMA ADVOCATE
Ch.No. 310, Reg. No. 3540/06
D.J.Code S369, Court Compound,
Moradabad, Mob. 9927248555